

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश

छत्तीसगढ़ रायपुर

2455 to 2462

कमांक / / टी.सी.-940 / नग्रानि / 05

रायपुर, दिनांक 22/11/05

प्रति,

संयुक्त / उप / सहायक संचालक,

नगर तथा ग्राम निवेश,

क्षेत्रीय कार्यालय (छ0ग0) ।

विषय :- अभिन्यास स्वीकृति बाबत ।

उपरोक्त विषयांतर्गत सूचित किया जाता है कि अभिन्यास स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रकरणों में आवेदक की भूमि का सीमांकन कराया जाना आवश्यक है । अभिन्यास स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ सीमांकन प्रतिवेदन एवं भूमि की सीमाएं स्थल पर अंकित कर मानचित्र प्राप्त करना आवश्यक है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि आवेदक के स्वामित्व की भूमि का ही अभिन्यास स्वीकृत किया जा रहा है इसे तत्काल लागू किया जाए ।

(संचालक द्वारा आदेशित)

संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
छत्तीसगढ़ रायपुर

०/०